

विद्यालय:-

स्थानान्तरण सत्र 2024-25 में काउंसिलिंग हेतु विद्यालय में कार्यरत रहने का प्रमाण पत्र/ स्थानान्तरण हेतु विकल्प पत्र

निर्देश- स्थानान्तरण हेतु मूल संवर्ग के विद्यालयों का विकल्प दिया जाना अनिवार्य है। स्थानान्तरण हेतु इस विकल्प पत्र को प्रधानाचार्य से हस्ताक्षर करायें व स्थानान्तरण की प्रत्येक श्रेणी के लिये पृथक-पृथक विकल्प पत्र लाना अनिवार्य है।

कार्मिक की ID (ऑन लाइन इन्ट्री के अनुसार) नवीन पात्रता सूची क्रमांक

1- अध्यापक का नाम :-

2- पदनाम व विषय :-

3- वर्तमान विद्यालय का नाम :-

4- विद्यालय की श्रेणी (दुर्गम/सुगम) :-

5- किस संवर्ग (मूल संवर्ग) में प्रथम नियुक्ति प्रदान की गई (सामान्य/महिला):-

6- आवेदन का प्रकार (अनिवार्य सुगम से दुर्गम/अनिवार्य दुर्गम से सुगम/अनुरोध की श्रेणी)
अंकित करें

7- व्हाट्स ऐप नम्बर :-

अध्यापक के हस्ताक्षर
दिनांक सहित

हस्ताक्षर संस्थाध्यक्ष.....
संस्थाध्यक्ष का नाम.....
मुहर व दिनांक.....

स्थानान्तरण हेतु विकल्प पत्र काउंसिलिंग स्थल पर भरा जायेगा।

क्र. सं.	विद्यालय का नाम	विकासखण्ड	जनपद	विद्यालय की श्रेणी (दुर्गम/सुगम)
1				

हस्ताक्षर

आवेदक का नाम-

विद्यालय का नाम-

दिनांक:-

